



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 14, 2019/आश्विन 22, 1941

No. 604]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2019/ASVINA 22, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2019

**सा.का.नि. 778(अ).**—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 की 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा धारा 123 के अंतर्गत कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासीमण्डल द्वारा संशोधनों के साथ बनाए गए और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (2) में की गई अपेक्षा के अनुसार उनके द्वारा प्रकाशित कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (स्टीवडोरिंग व तट संभलाई का लाइसेंसिकरण) विनियम, 2019 को संशोधनों के साथ अनुमोदित करती है जैसाकि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में दर्शाया गया है।

2. उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 123 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट का न्यासीमण्डल कोचिन पोर्ट (स्टीवडोरिंग लाइसेंस जारी करना) विनियम, 1987 का अधिक्रमण करते हुए, इस प्रकार के अधिक्रमण से पहले किए गए या विलुप्त की गई चीजों को छोड़कर, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है नामतः—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ—(1)** इन विनियमों को कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (स्टीवडोरिंग व तट संभलाई का लाइसेंसिकरण) विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) उक्त विनियम केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(2) **परिभाषा**—इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) से है

(ख) "एजेंट" का तात्पर्य ऐसा व्यक्ति से है, जिसे विनियम 6 के अधीन स्टीवडोरिंग व तट संभलाई का लाइसेंस जारी किया गया है,

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित कोचिन पोर्ट ट्रस्ट का न्यासीमण्डल से है,

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है,

- (ड.) "फॉर्म" का तात्पर्य इन विनियमों में संलग्न फॉर्म से है,
- (च) "पोर्ट" का तात्पर्य कोचिन पोर्ट से है,
- (छ) "लाइसेंस" का तात्पर्य विनियम 6 के अधीन जारी स्टीवडोरिंग व तट संभलाई के लाइसेंस से है
- (ज) "रॉयल्टी" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा तय की गई उस राशि से है, जो स्टीवडोरिंग व तट संभलाई सेवाएँ प्रदान करने के लिए एजेंट द्वारा बोर्ड को देय है,
- (झ) "तट संभलाई गतिविधियों" में हुक प्वाइंट से अथवा हुक प्वाइंट तक माल की व्यवस्था करना और प्राप्त करना, वार्फ से स्टॉक यार्ड एवं इसके विपरीत इंटरमॉडल परिवहन एवं वैगनों या ट्रकों से कार्गो को प्राप्त करना और वितरित करना या इसके विपरीत आदि शामिल हैं,
- (ञ) "स्टीवडोरिंग गतिविधियों" में कामगारों द्वारा बोर्ड पर सम्पादित कार्गो लदाई के समय हुकिंग एवं कार्गो उतराई के समय अनहुकिंग की सुविधा प्रदान करना आदि शामिल है।
- (ट) "टैरिफ प्राधिकरण" से तात्पर्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 47 ए के तहत महापत्तनों के लिए गठित टैरिफ प्राधिकरण से है।
- (ठ) "यातायात प्रबंधक" से तात्पर्य कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के यातायात विभाग के वर्तमान प्रभारी अधिकारी से है एवं जिसमें उनके प्राधिकार में कार्यरत डिप्टी तथा सहायकों अथवा किन्हीं अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है।
- (ड) ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को जिन्हें यहाँ प्रयुक्त किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका अर्थ वही होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।
3. **उपयोगः—** ये विनियम बोर्ड पर चल रही स्टीवडोरिंग गतिविधियों और एजेंट द्वारा तट पर तट संभलाई पर की गई गतिविधियों पर लागू होंगे परन्तु ये विनियम बोर्ड द्वारा की गई ऐसी गतिविधियों अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसके साथ बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी समझौते या बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर समझौते या इस तरह के अन्य किसी समझौते द्वारा की गई गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे।
4. **कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के बिना स्टीवडोरिंग या तट संभलाई गतिविधियों को कार्यान्वित नहीं कर सकता—** कोई भी व्यक्ति पोर्ट में स्टीवडोरिंग या तट संभलाई गतिविधियों को कार्यान्वित नहीं कर सकेगा जब तक उसे इन विनियमों के तहत वैध लाइसेंस जारी न किया गया हो:  
बशर्ते कि कोई व्यक्ति जिसे इन विनियमों के लागू होने से पहले लाइसेंस जारी किया गया हो, वह मौजूदा लाइसेंस के तहत साठ दिनों की अवधि के लिए या जब तक वह इन विनियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, संचालन जारी रख सकता है।
5. **लाइसेंस जारी करने का मानदंडः—**निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक को स्टीवडोरिंग या तट संभलाई गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए लाइसेंस जारी किया जा सकता है, नामतः —
- (क) आवेदक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या एक साझेदारी फर्म या किसी अन्य कानूनी इकाई के तहत पंजीकृत कंपनी है;
- (ख) आवेदक ने कम से कम छह पर्यवेक्षी कार्मिकों, जिनके पास कार्गो संभलाई या नौभरण का न्यूनतम दो वर्ष का कार्यनुभव है, को नियोजित किया है या नियोजन करने के लिए वचन दिया है,
- (ग) आवेदक के पास बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट स्टीवडोरिंग या तट संभलाई गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपकरण एवं गियर हों,
- (घ) आवेदक, किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की जाने वाली पांच लाख रुपये की ब्याज मुक्त प्रतिदेय सुरक्षा राशि या ऐसी उच्च राशि, जमा करने को तैयार हो,
6. **लाइसेंस जारी करनाः—**(1) इन विनियमों के तहत स्टीवडोरिंग या तट संभलाई गतिविधियों को कार्यान्वित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय, बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में ऑनलाइन

आवेदन जमा कर सकता है, या फॉर्म-ए में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ एवं पचास हजार रुपये शुल्क अथवा बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किए गए इस तरह के उच्च शुल्क के साथ लिखित रूप में अध्यक्ष को आवेदन कर सकता है।

- (2) यदि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक विनियम 5 के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है, तो वह आवेदक को फॉर्म-बी में लाइसेंस जारी कर सकते हैं अन्यथा आवेदक को अस्वीकृति का आदेश दे सकते हैं।
- (3) विनियमन 5 के खंड (घ) में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा जमा के भुगतान पर उप-विनियम (2)के तहत लाइसेंस जारी किया जाएगा।

7. **लाइसेंस की वैधता और नवीकरण:**-(1) नियम 6 के तहत जारी किया गया लाइसेंस, जारी करने की तिथि से जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तीन साल की अवधि के लिए वैध होगा।

- (2) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन फॉर्म-क में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ और पचास हजार रुपये या, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित, इससे अधिक शुल्क के साथ एवं देरी के मामले में, 10,000 रुपये या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित इससे अधिक के विलंब शुल्क के साथ लाइसेंस की समाप्ति से तीन महीने पहले जमा किया जा सकता है।

- (3) यदि आवेदक निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, तो लाइसेंस का नवीकरण किया जा सकता है,

नामत: -

- (क) लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है,
  - (ख) प्रति वर्ष न्यूनतम दस हजार मेट्रिक टन कार्गो या समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय किए गए कार्गो की ऐसी अन्य मात्रा की संभलाई की है,
  - (ग) सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया है एवं इस तरह के अनुपालन को डॉक वर्कर्स (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 के 54) के तहत नियुक्त निरीक्षक द्वारा अध्यक्ष को सौंपी गई रिपोर्ट में प्रमाणित किया गया है।
- (4) यदि अध्यक्ष इस बात पर संतुष्ट है कि आवेदक ने उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया है, वह जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, लाइसेंस को आगे की तीन साल की अवधि के लिए नवीकृत कर सकता है, या आवेदक को अस्वीकृति का आदेश दे सकता है:
- बशर्ते कि लाइसेंस की समाप्ति की तिथि से पहले उप-विनियम (3) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट निरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत न की गई हो, यदि अध्यक्ष इस बात पर संतुष्ट हो जाए कि आवेदक ने उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों को पूरा किया है, तो एजेंट द्वारा फॉर्म-ग में क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करने के आधार पर, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, आगे की तीन वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस नवीकृत कर सकते हैं।
- (5) मूल लाइसेंस के गुम होने या विकृत होने की स्थिति में, एक हजार रुपये या ऐसी अन्य राशि जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की गई हो के भुगतान के साथ इस संबंध में अध्यक्ष को एक आवेदन किये जाने पर लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी की जा सकती है।

8. **निष्पादन मानकों और स्टीवडोरिंग व तट संभलाई गतिविधियों के लिए टैरिफ:**-(1) बोर्ड समय-समय पर पोर्ट में स्टीवडोरिंग व तट संभलाई गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए एजेंटों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले निष्पादन मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा

- (2) बोर्ड, अपने द्वारा विनिर्दिष्ट निष्पादन मानकों के अनुपालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एजेंटों के लिए प्रोत्साहन तय कर सकता है और गैर-निष्पादन के लिए जुर्माना विनिर्दिष्ट कर सकता है और अपनी वेबसाइट पर एजेंटों द्वारा प्राप्त निष्पादन का मासिक सारांश प्रकाशित कर सकता है।

- (3) टैरिफ प्राधिकरण, उप-विनियमन (1) के तहत बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट निष्पादन मानकों के आधार पर पोर्ट में स्टीवडोरिंग व तट संभलाई गतिविधियों के यांत्रिक और मैनुअल परिचालन के लिए अलग से टैरिफ तय व अधिसूचित करेगा एवं इस तरह के टैरिफ पोर्ट में लागू अधिकतम दरें होंगी।
- (4) उप-नियम (3) के तहत टैरिफ को अधिसूचित करते समय टैरिफ प्राधिकरण उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट निष्पादन मानकों को भी अधिसूचित करेगा।
- (5) कोई भी एजेंट टैरिफ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अधिकतम दरों से अधिक टैरिफ नहीं लेगा।
- (6) अध्यक्ष द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे—
- (क) एजेंटों द्वारा स्टीवडोरिंग व तट संभलाई टैरिफ का अनुपालन सुनिश्चित करना,
- (ख) टैरिफ अधिसूचना के उल्लंघन या अधिकतम दरों की तुलना में उच्च शुल्क लगाने पर प्राप्त शिकायतों की जांच करना, तथा
- (ग) किसी भी एजेंट द्वारा किए गए उल्लंघन पर यातायात प्रबंधक को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

9. **रॉयल्टी का भुगतान:**—(1) बोर्ड, अपने द्वारा जारी लाइसेंस के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रति टन के आधार पर लाइसेंस शुल्क के रूप में रॉयल्टी वसूल करेगा एवं एजेंटों द्वारा संभलाई किए गए समान प्रकार एवं मात्रा के कार्गो के लिए इस तरह की रॉयल्टी वसूलने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

- (2) प्रत्येक एजेंट आयात के मामले में जलयान के आने से पहले इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट मात्रा के आधार पर अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और निर्यात के मामले में जलयान के एजेंट या निर्यातक या एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट द्वारा घोषित मात्रा के आधार पर, तथा एजेंट द्वारा संभलाई किए गए कार्गो की कुल मात्रा के आधार पर जहाज का संचालन पूरा होने के बाद देय वास्तविक रॉयल्टी की गणना की जाएगी।
- (3) रॉयल्टी की राशि में अंतर, यदि कोई हो, तो बिल की प्रस्तुति की तिथि से दस दिनों के अंदर देय होगी और रॉयल्टी के भुगतान में देरी के मामले में, पोर्ट की दरों के पैमाने के अनुसार ब्याज देय होगा।
- (4) बोर्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में रॉयल्टी की छूट पर विचार कर सकता है:—
  - (क) पोर्ट के पंजीकृत कार्गो संभलाई श्रमिकों द्वारा आहत हड़ताल की अवधि के दौरान एजेंटों द्वारा संभलाई किए गए कार्गो,
  - (ख) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संभलाई किए गए राहत कार्गो,
  - (ग) आपात स्थितियों और युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान संभलाई किए गए रक्षा कार्गो,
  - (ड) यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी किया जाता है।

10. **एजेंटों के कर्तव्य व जिम्मेदारियां**—प्रत्येक एजेंटों को निम्नलिखित कर्तव्यों व जिम्मेदारियों का पालन करना होगा, नामतः —

- (क) यातायात विभाग को दैनिक निष्पादन रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करना,
- (ख) अपनी गतिविधि के संबंध में उस समय लागू किसी भी नियम के तहत विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करना,
- (ग) अपने संचालन से उत्पन्न सभी तृतीय पक्ष के दावों के विरुद्ध, बोर्ड की क्षतिपूर्ति करना,
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि उनके द्वारा तैनात आकस्मिक श्रमिक लागू नियम के तहत बीमा पॉलिसी में कवर हो रहे हैं और अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं,
- (ङ) यदि स्टीवडोरिंग व तट संभलाई परिचालन के दौरान बोर्ड के किसी भी गियर, प्लांट या कोई अन्य संपत्ति क्षतिग्रस्त होती है, तो वह ऐसे नुकसान या क्षति के लिए बोर्ड को क्षतिपूर्ति करेगा,
- (च) लाइसेंस के नियमों व शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना,

- (छ) बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित निष्पादन मानकों को प्राप्त करना,
- (ज) पोर्ट को पंजीकृत कार्गो संभलाई श्रमिकों से प्राप्त सेवाओं के लिए शुल्क समेत दर मानकों में यथा विनिर्दिष्ट ब्याज आदि सभी बकायों का भुगतान करना,
- (झ) अपने द्वारा लगाए गए टैरिफ को प्रकाशित करना, यह टैरिफ प्राधिकरण द्वारा तय अधिकतम दरों से अधिक नहीं होगा और उसे अपनी वेबसाइट पर ऑपलोड करना,
- (ञ) बोर्ड की वेबसाइट पर अपने टैरिफ के प्रकाशन को सुनिश्चित करना,
- (ट) स्टीवडोरिंग संभलाई व तट संभलाई गतिविधियों में उत्पादकता, दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए स्टीवडोरिंग संभलाई व तट संभलाई गतिविधियों के लिए तैनात श्रमिकों को कार्गो संभलाई की आधुनिक प्रणालियों के संबंध में सावधिक आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
11. **यातायात प्रबंधक के कर्तव्य—(1)** एजेंटों को जारी किए गए लाइसेंस के नियम व शर्तों की निगरानी और अनुपालन को सुनिश्चित करना एवं ऐसे एजेंटों द्वारा सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करना यातायात प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी।
- (2) लाइसेंस के नियमों व शर्तों के अनुपालन में या किसी एजेंट द्वारा सुरक्षा मानदंडों के पालन करने में किसी भी चूक के पाये जाने के मामले में ऐसी चूक पहली बार करने पर यातायात प्रबंधक, संबंधित एजेंट को चेतावनी जारी कर सकता है और बाद में, दुबारा ऐसी चूक की स्थिति में, नियम व शर्तों के गैर-अनुपालन का विवरण दर्शाते हुए अध्यक्ष को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है और एजेंट के खिलाफ लाइसेंस रद्द किया जाना और सुरक्षा जमा को जब्त किया जाना आदि सहित, दंडात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है।
12. **बोर्ड, डॉक लेबर बोर्ड, लाइसेंस धारक या अन्य स्रोत के श्रमिकों की तैनाती—**एजेंट उस समय लागू नियम के अनुसार बोर्ड के कार्मिकों की तैनाती करेगा, और यदि एजेंट द्वारा मांगे गए श्रमिकों की आपूर्ति करने में बोर्ड असमर्थ होता है, तो बोर्ड, एजेंट को स्वयं अपनी व्यवस्था करने की अनुमति दे सकता है और ऐसे मामले में, बोर्ड द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
13. **लाइसेंस का निलंबन व निरस्तीकरण—**अध्यक्ष, प्रत्येक तिमाही में एजेंटों के निष्पादन की समीक्षा कर सकते हैं और यदि आवश्यक समझें, तो लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित रिकार्ड किए जाने वाले किन्हीं भी कारणों के आधार पर उनके द्वारा जारी लाइसेंस का निलंबन व निरस्तीकरण कर सकते हैं।
- (क) निष्पादन मानकों को एक वर्ष की औसत अवधि के लिए प्राप्त नहीं किया गया हो,
- (ख) टैरिफ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अधिकतम दरों से अधिक टैरिफ प्रभार लगाया गया हो,
- (ग) लगातार दो वर्षों के लिए, विनियमन 7 के उप-विनियम (3) के खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट कार्गो की तुलना में कम कार्गो की संभलाई की गई हो,
- (घ) नैतिक मर्यादा से जुड़े अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो,
- (ङ) सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया हो और अनिवार्य डॉक सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफल रहा हो,
- (च) उचित और सुरक्षित संभलाई प्रणालियों को अपनाने में विफल रहा हो,
- (छ) गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने या भौतिक तथ्यों की गलतबयानी का दोषी पाया गया हो,
- (ज) दिवालिया हो चुका हो या परिसमापन की कगार पर हो,
- (झ) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई गतिविधियों के संचालन के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ लाइसेंस या उप-अनुबंध हस्तांतरित किया हो,
- (ञ) सुरक्षा नियमों, अनुदेशों या अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ और पोर्ट सुविधा सुरक्षा कोड का पालन करने में विफल रहा हो,
- (ट) दैनिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा हो,
- (ठ) अवैध या भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो,

(ड) कदाचार के लिए दोषी पाया गया हो, जिसके लिए बोर्ड की राय में, लाइसेंस रद्द या निलंबित करना मुनासिब हो:

बशर्ते कि लाइसेंस धारक को उसका, लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए या उसे ऐसे आधार पर निलंबित क्यों नहीं किया जाना चाहिए इसके बारे में उचित कारण दर्शाने का पर्याप्त अवसर दिए बिना कोई भी लाइसेंस रद्द या निलंबित नहीं किया जाएगा।

14. **अपील**—विनियम 7 के तहत लाइसेंस के नवीकरण के अस्वीकरण आदेश द्वारा विनियम 6 के तहत लाइसेंस जारी करने पर अस्वीकरण अथवा विनियमन 13 के तहत लाइसेंस निलंबन या रद्द करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति इस आदेश के विरुद्ध आदेश प्राप्त के तीस दिनों के भीतर केन्द्र सरकार को अपील कर सकता है।

15. **सुरक्षा जमा की वापसी**—निम्नलिखित परिस्थितियों में बोर्ड के दावों, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद सुरक्षा जमा एजेंट को वापस किया जा सकता है, नामतः —

(क) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर और नवीकरण के लिए कोई आवेदन न किए जाने पर,

(बी) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार किए जाने पर,

(सी) लाइसेंस रद्द करने पर, तथा

(डी) यदि एजेंट उसे जारी किए गए लाइसेंस को समाप्त करना चाहता है और इसे समाप्त करने के लिए व सुरक्षा राशि की वापसी के लिए अध्यक्ष को लिखित आवेदन करता है।

[फा. सं. पीडी-0808/46/2017-पीडी-II/330234]

रबिन्द्र अग्रवाल, संयुक्त सचिव

### फॉर्म - "ए"

### कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

### यातायात विभाग

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (स्टीवडोरिंग व तट संभलाई का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2019

के तहत स्टीवडोरिंग व तट संभलाई लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन फॉर्म

क्र.सं.	विवरण	आवेदक द्वारा भरे जाने वाले विवरण
1.	आवेदक का नाम	
2.	क्या आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है अथवा एक साझेदारी फार्म है अथवा अन्य कोई कानूनी इकाई है (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)	
3.	पत्राचार का पता	
4.	आवेदक का पैन अथवा टीआईएन संख्या	
5.	आवेदक का फोन नंबर	
6.	संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नं.	

7.	आवेदक का ईमेल व फैंक्स नं.	
8.	किस अवधि के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है	
9.	स्टीमशिप या कंपनी या शिप के चार्टर या कार्गो के मालिक का (के) नाम जिनके साथ कार्गो के स्टीवडोरिंग व तट संभलाई के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया है या अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है (अनुबंध की प्रति संलग्न करें) प्रत्येक पक्ष के लिए अनुमानित टन का संकेत दिया जाना है।	
10.	स्टीवडोरिंग व तट संभलाई गतिविधियों में पिछले अनुभव (कार्गो एवं टनेज संभलाई में पिछले तीन वर्षों के अनुभव का प्रमाण संलग्न करें)	
11.	क्या आवेदक के पास कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत क्षतिपूर्ति के भुगतान को पूरा करने की वित्तीय क्षमता है(वित्तीय क्षमता और पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न दिखाने के लिए बैंकर से दस लाख रुपये के लिए शोध क्षमता प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
12.	क्या आवेदक के पास स्टीवडोरिंग व तट संभलाई गतिविधियों के लिए उपकरण और गियर हैं (सुरक्षा प्रमाणपत्र के साथ उपकरण व गियरों की सूची संलग्न करें)	
13.	क्या आवेदक ने स्टीवडोरिंग व तट संभलाई गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्गो संभलाई व स्टोवेज में न्यूनतम दो वर्षों के कार्यानुभव रखने वाले कम से कम छह पर्यवेक्षी कर्मियों को नियोजित किया है या तैनात करने हेतु वचन देने के लिए तैयार है (कर्मचारियों की सूची, कार्यानुभव सहित उनकी विस्तृत जानकारी संलग्न करें)	
14.	क्या आवेदक ने लाइसेंस जारी करने या नवीकरण के लिए विनियम 6 या 7 में यथा विनिर्दिष्ट बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को आवेदन शुल्क का भुगतान किया है (भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)	
15.	क्या आवेदक लाइसेंस जारी करने की स्थिति में विनियम 6 में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा जमा का भुगतान करने के लिए तैयार है।	
16.	क्या आवेदक ने बोर्ड के साथ पूर्व कारोबार, यदि कोई हो, के संबंध में सभी बकाया राशि का भुगतान किया है (बोर्ड के संबंधित प्राधिकारियों से अदेयता प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
17.	लाइसेंस के नवीकरण के मामले में, डॉक सुरक्षा निरीक्षक द्वारा दिया गया सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें। यदि नहीं, तो फॉर्म-सी में विधिवत निष्पादित मूल क्षतिपूर्ति बांड संलग्न करें।	

मैं/हम, पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

मैं/हम, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क के रूप में रॉयल्टी राशि, पंजीकृत कार्गो संभलाई श्रमिकों के लिए देय शुल्क और कोचिन पोर्ट में स्टीवडोरिंग व तट संभलाई परिचालन को कार्यान्वित करने हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई बोर्ड की किसी भी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम, लाइसेंस जारी करने/नवीकरण के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित किसी भी अन्य जानकारी/किसी भी रिकॉर्ड को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

यदि लाइसेंस मेरे/हमारे पक्ष में जारी या नवीकृत किया जाता है, तो मैं/हम समय-समय पर संशोधित कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (स्टीवडोरिंग व तट संभलाई का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2019 का पालन करने एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मुझे/हमें नैतिक अपराध में शामिल किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है एवं इस संबंध में प्रमाणपत्र परिशिष्ट-I में संलग्न हैं।

मैं/हम, एतद्वारा यह वचन देता हूँ/देते हैं कि, मैं/हम प्रदान की गई सेवाओं के लिए टैरिफ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अधिकतम दरों से कम दरें प्रभारित करेंगे।

स्थान:

तिथि :

कार्यालय की मुहर के साथ आवेदक का हस्ताक्षर

### फॉर्म - "बी"

पोर्ट में स्टीवडोरिंग व तट संभलाई परिचालन के कार्यान्वयन हेतु लाइसेंस

1. लाइसेंसधारी का नाम : .....
2. पता : .....
3. वह अवधि जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, से ..... तक .....
4. उल्लेख करने के लिए आवश्यक कोई अन्य विवरण  
.....  
.....  
.....  
.....

कृते अध्यक्ष

(आधिकारिक मुहर)

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट



## परिशिष्ट-I

घोषणा

में ..... का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आवेदक का नाम) एतद्वारा यह घोषित करता हूँ कि फर्म या प्रबंधन के निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साझेदार व मालिक

(क) नैतिक अपराध में शामिल किसी भी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाए गए हैं,

अथवा

(ख) नैतिक अपराध में शामिल किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए हैं, परन्तु इस सजा की समाप्ति की तिथि से पांच वर्ष बीत चुके हैं। (दोषी पाए गए व्यक्ति के नाम व पदनाम का विवरण, अपराध की प्रकृति, सजाओं की तिथि, कारावास की अवधि, आदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा)

हस्ताक्षर

कंपनी की मुहर

\*जैसे भी मामला हो विकल्प (क) अथवा (ख) को काट दें।

शर्तें

यह लाइसेंस समय-समय पर यथा संशोधित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963(1963 का 38) एवं कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (स्टीवडोरिंग व तट संभलाई का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

सभी स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (स्टीवडोरिंग व तट संभलाई का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2019 द्वारा लागू किए गए कर्तव्यों, दायित्वों और जिम्मेदारियों एवं विशेष रूप से निम्नलिखित के अधीन होंगे:

- (क) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई गतिविधियों एवं तत्संबंधी अन्य कार्यों के लिए तैनात स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट एवं उनके सभी कार्मिक डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 एवं डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियमन, 1990 एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तहत जारी अधिसूचनाओं एवं इस तरह के संचालन/ श्रम/उपकरण से संबंधित प्रचलित कोई अन्य कानून/व्यवस्थाओं के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा;
- (ख) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक उपकरण तैनात करेगा और उनके स्वामित्वाधीन अथवा उनके द्वारा किराए पर लिए गए गियरों एवं उपकरणों के साथ संचालन करेगा;
- (ग) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट उनके द्वारा किए गए संचालनों के दौरान सभी स्वीकृत सुरक्षित कार्य प्रणालियों और मानदंडों का पालन करेगा;
- (घ) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट उनके द्वारा किए गए संचालन के दौरान सभी स्वीकृत सुरक्षित कार्य प्रणालियों और मानदंडों का पालन करेगा;

- (ड.) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट उनके द्वारा किए गए कार्यों में से सभी तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध बोर्ड की क्षतिपूर्ति करेगा;
- (च) स्टीवडोर व तट संभलाई एजेंट अथवा इसके किन्हीं कर्मचारियों या श्रमिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों के दौरान किसी भी दुर्घटना के परिणामस्वरूप जब भी बोर्ड को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधान के तहत अपने किन्हीं कर्मचारियों या श्रमिकों या उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है, तो ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए गए भुगतान की राशि की प्रतिपूर्ति स्टीवडोरिंग और तट संभलाई एजेंट द्वारा बोर्ड को की जाएगी। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत यथा निर्धारित क्षतिपूर्ति की मात्रा, बोर्ड और स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट के बीच बाध्यकारी और निर्णायक होगी;
- (छ) यदि ऐसे किसी परिचालन के दौरान बोर्ड के किसी भी गियर, उपकरण, संयंत्र और अन्य संपत्ति क्षतिग्रस्त होती है, तोऐसी हानि या क्षति के लिए स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट द्वारा पोर्ट को भरपाई की जाएगी, जिसकी मात्रा अध्यक्ष या उनके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा क्षति की सीमा और संपत्ति का मूल्यांकन संबंधी एक उचित जांच के बाद तय की जाएगी;
- (ज) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट उनके द्वारा की गई स्टीवडोरिंग व तट संभलाई गतिविधियों से संबंधित जानकारी अथवा तत्संबंधी विषय बोर्ड के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा;
- (झ) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों पर पर्याप्त पर्यवेक्षण करेगा;
- (ञ) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट विभिन्न प्रकार के कार्गो की संभलाई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षित और प्रमाणित सभी आवश्यक गियर और उपकरण प्रदान करेगा;
- (ट) आवधिक निरीक्षण अथवा निरीक्षक, गोदी सुरक्षा अथवा यातायात प्रबंधक द्वारा जब भी मांगे जाने पर स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट गियर और उनके द्वारा लगाए गए उपकरण के लिए आवश्यक एनीलिंग और परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
- (ठ) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट कार्गो के प्रकार के अनुरूप श्रमिकों को आवश्यक उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा सामग्री प्रदान करेगा;
- (ड) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा नियोजित श्रमिक अवकाश विराम को छोड़कर पूरी पारी के दौरान कार्यस्थल पर उपस्थित हैं, अपना सामान्य निष्पादन प्रदान कर रहे हैं और जब भी निष्पादन निर्धारित मानदंडों से नीचे आता है, तो इसमें सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे;
- (ढ) स्टीवडोर व तट संभलाई एजेंट को किसी भी स्थिति में तट के साथ साथ जहाज़ के बोर्ड पर, जैसा भी मामला हो, कार्गो संचालन के लिए आवश्यक स्वीपिंग, फिलिंग स्टिचिंग, जहाज़ की स्टेंसिलिंग की मरम्मत करना, कार्गो स्टेकिंग का विभंजन एवं सुरक्षित करना और कार्गो स्टोवेज जैसे सहायक कार्यों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी, इन सहायक सेवाओं के लिए कोई प्रभार अलग से नहीं लगाया जाएगा और इसे टैरिफ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित स्टीवडोरिंग व तट संभलाई दरों में शामिल किया जाएगा;
- (ण) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोर्ड की सभी बकाया राशियों का भुगतान विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किया गया है इसमें असफल होने पर इन विनियमों के तहत लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। यदि बोर्ड को कोई देय बकाया है, तो लाइसेंस के नवीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा;
- (त) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट को जहाज़ आने से पहले बोर्ड को अग्रिम रॉयल्टी देनी होगी; (इन नियमों के तहत, स्टीवडोरिंग व तट संभलाई सेवाओं के संबंध में किसी भी कारणवश एजेंट द्वारा अपनी मूल या राशियों में छूट और विलम्बन, यदि कोई प्रदान किया गया हो, और यदि वह उस एजेंट द्वारा वसूल न किया गया हो, तो उसे रॉयल्टी के लिए बोर्ड के बकाये की गणना के उद्देश्य से मान्यता नहीं दी जाएगी)

- (थ) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट को केन्द्र सरकार एवं पोर्ट के फेडरेशन व गोदी श्रमिकों के बीच समय-समय पर अथवा इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर सहमत हुई शर्तों और निपटान के अनुसार उनके द्वारा नियुक्त श्रमिकों को मजदूरी देनी होगी;
- (द) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट इस लाइसेंस में अथवा इसके तहत किसी हित अथवा लाभ को किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्पित, अंतरित नहीं करेगा अथवा किसी भी रूप में हिस्सेदार नहीं बनाएगा;
- (ध) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट को सुरक्षा, उत्पादकता और श्रम अनुशासन में सुधार के लिए बोर्ड के सभी नियमों और विनियमों तथा समय-समय पर यातायात प्रबंधक द्वारा जारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करना होगा;
- (न) जब भी आकस्मिक मजदूर तैनात किए जाते हैं, तो स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कर्मचारी बीमा पॉलिसी के दायरे में आते हैं;
- (प) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट बोर्ड द्वारा निर्धारित निष्पादन मानकों को प्राप्त करेगा;
- (फ) स्टीवडोरिंग व तट संभलाई एजेंट अपने द्वारा लगाए गए टैरिफ को प्रकाशित करेगा और इसे अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करेगा और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेगा। लगाए गए प्रभार टैरिफ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीलिंग दरों से अधिक नहीं होंगे।

#### स्वीकृति

मैं/हम उपर्युक्त नियमों व शर्तों के तहत इस तिथि को.....मुझे/हमें जारी किए गए स्टीवडोरिंग व तट संभलाई लाइसेंस को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

तिथि:

हस्ताक्षर .....

(आधिकारिक मुहर)

नाम व पदनाम .....

पता .....

संपर्क नं. ....

हस्ताक्षरी के गवाह

1.

2.

#### फॉर्म –“सी”

##### क्षतिपूर्ति बांड

गोदी सुरक्षा से सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त होने से पहले स्टीवडोरिंग व तट संभलाई लाइसेंस के नवीकरण हेतु क्षतिपूर्ति बांड का प्रपत्र

स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत किया जाएगा

(स्टाम्प पेपर जिसका मूल्य 200/-रुपये से कम न हो, में प्रस्तुत करें)

इस क्षतिपूर्ति बांड को वर्ष दो हजार .....के..... के माह की.....तिथि को मेसर्स.....  
.....(जिसे इसके बाद “क्षतिपूर्तिकर्ता” के रूप में संदर्भित किया गया है), जिस अभिव्यक्ति से तात्पर्य और जिसमें उनके वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कार्यालय में समनुदेशिती शामिल हैं, द्वारा यातायात प्रबंधक के प्रतिनिधित्व में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, विल्लिंगडन आईलैण्ड, कोचीन –682009 के न्यासीमण्डल के पक्ष में (यहाँ “बोर्ड” के रूप में संदर्भित),

जिनकी अभिव्यक्ति का तात्पर्य और जिसमें उनके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं कार्यालय में समनुदेशिती शामिल हैं, के पक्ष में निष्पादित किया गया।

जबकि, क्षतिपूर्तिकर्ता ने लाइसेंस के नवीकरण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के आगे कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, विल्लिंगडन आईलैंड, कोचिन—682009 में स्टीवडोरिंग व तट संभलाई गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (स्टीवडोरिंग व तट संभलाई का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2019 के अनुसार स्टीवडोरिंग व तट संभलाई के लाइसेंस के नवीकरण हेतु अनुरोध किया है,

और जबकि, क्षतिपूर्तिकर्ता ने आवेदन शुल्क, आवश्यक दस्तावेजों और विनिर्दिष्ट सुरक्षा जमा के साथ स्टीवडोरिंग व तट संभलाई लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है,

जबकि, क्षतिपूर्तिकर्ता आवश्यक शर्तों को पूरा करता है और लाइसेंस के नवीकरण के लिए योग्य है, परन्तु सुरक्षा मंजूरी प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है,

जबकि, क्षतिपूर्तिकर्ता ने अपने आवेदन सं.....दि.....में सुरक्षा मंजूरी प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सहायक निदेशक(सुरक्षा), गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय, विल्लिंगडन आईलैंड, कोचिन—682 009 को आवेदन प्रस्तुत किया है,

जबकि, क्षतिपूर्तिकर्ता ने सुरक्षा मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त होने के समय तक स्टीवडोरिंग व तट संभलाई लाइसेंस के नवीकरण के लिए इस क्षतिपूर्ति बॉन्ड को निष्पादित किया है,

जबकि, क्षतिपूर्तिकर्ता ने कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (स्टीवडोरिंग व तट संभलाई का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2019 विनियम 10 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को भलीभाँति समझा है एवं ऐसे कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों व शर्तों का पालन करने हेतु सहमत हैं, इसलिए अब, क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा गोदी सुरक्षा के निरीक्षणालय के मौजूदा सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन करने और सुरक्षा मंजूरी प्राप्त न करने के कारणों से किसी भी कार्यकारी, न्यायिक, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के आदेश या निर्देश के माध्यम से पोर्ट के खिलाफ लागू किसी भी कानूनी, वित्तीय, वैधानिक या तीसरे पक्ष के दावे के विरुद्ध बोर्ड के हित की रक्षा करने हेतु गारंटी के लिए क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा इस क्षतिपूर्ति बॉन्ड को निष्पादित किया जाता है। क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा पत्तन के किसी भी व्यक्ति और/अथवा संपत्ति को हो सकनी वाली क्षति की लागत की, और उसके या उसके कार्मिकों और उपकरणों या गियरों द्वारा पोर्ट की संपत्ति और/अथवा पहले से संदर्भित लाइसेंस से उत्पन्न उसके दायित्वों के कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति के संबंध में पोर्ट के दावे को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति, दावा और हानि लागत संबंधी संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को की जाएगी।

यह क्षतिपूर्ति बॉन्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध सुरक्षा मंजूरी प्रमाणपत्र जमा करने की तिथि तक मान्य और लागू होगा।

इसके प्रमाण में पक्षों द्वारा ऊपर पहले लिखित दिन, माह व वर्ष को क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा बांन्ड पर हस्ताक्षर किया गया, मुहर लगाई गई और पक्षकारों को सौंपा गया।

कृते

गवाहों की उपस्थिति में:

(1)

(2)

सचिव

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

**MINISTRY OF SHIPPING****NOTIFICATION**

New Delhi, the: 14 th October, 2019

**G.S.R. 778(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves with modifications the Cochin Port Trust (Licensing of stevedoring and shore handling) Regulations, 2019 made by the Board of Trustees of the Cochin Port Trust under section 123 and published by it as required under sub-section (2) of section 124 of the said Act, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

**Schedule**

In exercise of the powers conferred by section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Cochin Port Trust hereby makes the following regulations, in supersession of the Cochin Port (Issue of Stevedoring Licences) Regulations, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, namely:-

**1. Short Title and Commencement.-** (1) These regulations may be called the Cochin Port Trust (Licensing of stevedoring and shore handling) Regulations, 2019.

(1) They shall come into force on the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the Official Gazette.

**2. Definitions.-** In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(b) “agent” means a person to whom stevedoring and shore handling license has been issued under regulation 6;

(c) “Board” means the Board of Trustees of the Cochin Port Trust constituted under the Act;

(d) “Chairman” means the Chairman of the Board;

(e) “Form” means a form appended to these regulations;

(f) “Port” means the Cochin Port;

(g) “licence” means a stevedoring and shore handling licence issued under regulation 6;

(h) “royalty” means the amount fixed by the Board which is payable by an agent to the Board for rendering stevedoring and shore handling services;

(i) “shore handling activities” include arranging and receiving the cargo to or from the hook point, intermodal transport from wharf to stack yard and *vice-versa* and also receiving and delivering of cargo from or to wagons or trucks;

(j) “stevedoring activities” include activities carried on board involving workmen, extending to hooking for loading cargo and unhooking of unloading cargo;

(k) “tariff authority” means the Tariff Authority for Major Ports constituted under section 47A of the Act;

(l) “Traffic Manager” means the Officer for the time being in-charge of the traffic department of the Cochin Port Trust and includes his deputies and assistants or any other officer acting under his authority;

(m) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

**3. Application.-** These regulations shall apply to the stevedoring activities on board and shore handling activities on shore undertaken by the agent, but shall not apply to such activities undertaken either by the Board or by any person with whom Public Private Partnership agreement or Build-Operate-Transfer agreement or such other agreement has been entered into by the Board.

- 4. No person to undertake stevedoring or shore handling activities without License.-** No person shall undertake to perform the stevedoring and shore handling activities in the Port unless he has been issued a valid License under these regulations:
- Provided that a person to whom licence has been issued prior to the coming into force of these regulations may continue to operate under the existing licence for a period of sixty days or till he obtains a License under these regulations, whichever is earlier.
- 5. Criteria for issue of License.-** A licence for carrying out the stevedoring and shore handling activities may be issued to an applicant who fulfills the following criteria, namely:-
- (a) the applicant is a Company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a partnership Firm or any other legal entity;
  - (b) the applicant has employed, or submits an undertaking to employ, at least six supervisory personnel possessing minimum of two years' of experience in cargo handling or stowage;
  - (c) the applicant possesses equipment and gears required for stevedoring activities and shore handling activities, as specified by the Board;
  - (d) the applicant is willing to deposit interest-free refundable security deposit of rupees five lakhs or such higher amount, as the Board may fix, from time to time, to meet any contingency.
- 6. Issue of License.-** (1) Any person who desires to obtain a licence under these regulations for carrying out the stevedoring and shore handling activities may, at any time, submit an application online in the format available on the website of the Board, or in writing to the Chairman in Form-A, along with the documents specified therein and a fee of rupees fifty thousand or such higher fee, as the Board may fix, from time to time.
- (2) If the Chairman is satisfied that the applicant fulfills the criteria specified under regulations 5, he may issue licence to the applicant in Form-B or otherwise communicate the order of refusal to the applicant.
  - (3) The licence shall be issued under sub-regulations (2) on payment of security deposit specified in clause (d) of regulation 5.
- 7. Validity and renewal of License.-** (1) The License issued under regulations 6 shall be valid for a period of three years from the date of issue of License unless otherwise specified.
- (2) An application for renewal of License may be submitted in Form-A, atleast three months prior to expiry of the licence, along with the documents specified therein and a fee of rupees fifty thousand or such higher fee, as the Board may fix from time to time, and in case of delay, such late fee of Rs.10,000 or such higher amount as fixed by the Board.
  - (3) The licence is liable to be renewed if the applicant fulfills the following conditions, namely:-
    - (a) has complied with terms and conditions of the licence;
    - (b) has handled a minimum of ten thousand metric tonne of cargo per annum or such other volume of cargo, as the Board may fix, from time to time;
    - (c) has complied with the safety norms and such compliance has been certified by the Inspector appointed under the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 (54 of 1986) in the report submitted to the Chairman.
  - (4) If the Chairman is satisfied that the applicant has fulfilled the conditions specified in sub-regulation (3), he may renew the License for a further period of three years unless otherwise specified, or otherwise communicate the order of refusal to the applicant:

Provided that where the report of the Inspector referred to in clause (c) of sub-regulations (3) is not submitted before the date of expiry of the licence, the Chairman may, if he satisfied that the applicant fulfills all other conditions specified in sub-regulations (3), he may, subject to the agent executing an Indemnity bond in Form-C, renew the licence for a further period of three years unless otherwise specified.
  - (5) In the event of loss or defacing of the original licence, a duplicate licence may be issued if an application in this behalf is made to the Chairman on payment of rupees one thousand or such other amount as the Board may fix from time to time.

- 8. Performance standards and tariff for stevedoring and shore handling activities.-** (1)The Board shall from time to time specify the performance standards to be followed by the agents for carrying out stevedoring and shore handling activities in the port.
- (2) The Board may, for the purpose of encouraging compliance with the performance standards specified by it, fix incentives for the agents and specify penalty for non-performance and may publish monthly summary of performance achieved by the agents on its website.
- (3) The tariff authority shall, on the basis of performance standards specified by the Board under sub-regulation (1), fix and notify tariff separately for mechanized and manual operations of stevedoring and shore handling activities in the port and such tariff shall be the ceiling rates applicable in the port.
- (4) While notifying the tariff under sub-regulations (3), the tariff authority shall also notify the performance standards specified by the Board under sub-regulations (1).
- (5) No agent shall charge tariff exceeding the ceiling rates notified by the tariff authority.
- (6) A nodal officer appointed by the Chairman shall be responsible for-
- (a) ensuring compliance of the stevedoring and shore handling tariffs by the agents;
- (b) examine complaints received on violation of tariff notification or imposition of higher charges than the ceiling rates; and
- (c) submit report to the Traffic Manager on the contraventions committed by any agent.
- 9. Payment of Royalty.-** (1)The Board shall, in respect of the License issued by it, charge a royalty as the licence fee on per ton basis fixed by the Board and no discrimination shall be made in charging such royalty for the same type and quantity of cargo handled by the agents.
- (2) Every agent shall be liable to pay royalty in advance, prior to calling of the vessel, on the basis of import general manifest quantity, in case of import and on the basis of the quantity declared by the vessel's agent or exporter or export general manifest, in case of export and the actual royalty payable shall be calculated after completion of the vessel's operation based on the total quantum of cargo handled by the agent.
- (3) The difference in amount of royalty, if any, shall be payable within ten days from the date of raising of the bill and in case of delay in payment of royalty, interest shall be payable as specified in the Scale of Rates of the Port.
- (4) The Board may consider the waiver of royalty in following circumstances, namely:-
- (a) cargo handled by the agents during the period of strike called by the registered cargo handling workers of the Port;
- (b) relief cargo handled during the natural calamities;
- (c) defence cargo handled during the emergencies and war like situations;
- (d) if such direction is issued by the Government.
- 10. Duties and responsibilities of agents.-** Every agent shall perform the following duties and have the following responsibilities, namely-
- (a) submit to the traffic department a daily performance report online;
- (b) comply with applicable safety norms specified under any law for the time being in force in relation to his activity;
- (c) indemnify the Board against all third party claims arising out of his operations;
- (d) ensure that the casual workers deployed by him are covered by the insurance policy and other benefits under applicable law;
- (e) if any gear, plant or any other property of the Board is damaged in the course of stevedoring and shore handling operations, he shall compensate the Board for such loss or damage;
- (f) ensure compliance with the terms and conditions of the licence;
- (g) achieve the performance standards fixed by the Board from time to time;

- (h) shall pay all the dues of the port; including charges for services availed from the registered cargo handling workers and the interest as specified in the scale of rates.
- (i) shall publish the tariff charged by it, which shall not exceed the ceiling rates fixed by tariff authority and upload the same on its website;
- (j) ensure publication of its tariff on the website of the Board;
- (k) impart training on a periodical basis in modern methods of cargo handling in the Personnel deployed for stevedoring and shore handling activities for improving the productivity, efficiency and safety in handling stevedoring and shore handling activities.

**11. Duties of Traffic Manager.-** (1) The Traffic Manager shall be responsible for monitoring and ensuring compliance of the terms and condition of the licence issued to the agents and also of the safety norms to be followed by such agents.

- (2) In case of any default in the compliance of the terms and conditions of the licence or in following of the safety norms by any agent, the Traffic Manager shall, in the event of first such default, cause a warning to be issued to such agent and in the event of subsequent defaults, submit a report to the Chairman stating details of non-compliance and recommending penal action to be taken against the agent, including cancellation of the licence and forfeiture of security deposit.

**12. Deployment of workers of Board, Dock Labour Board, License holder or other source.-** The agent shall deploy the workers of the Board in accordance with the law for the time being in force and in case the Board is unable to supply the workers as sought by the agent, the Board may allow the agent to make its own arrangement and in such case, no charges shall be leviable by the Board.

**13. Suspension and cancellation of licence.-** The Chairman may review the performance of the agents in every three months and in case he deems it necessary, he may, by an order in writing, for reasons to be recorded, suspend or cancel the licence issued by him on any of the following grounds, namely:-

- (a) the performance standards has not been achieved for an average period of one year;
- (b) has been charging tariff higher than the ceiling rates approved by the tariff authority;
- (c) has been handling cargo less than the volume as specified in clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 7, consecutively for a period of two years;
- (d) has been convicted by the Court for an offence involving moral turpitude;
- (e) has contravened safety regulations and failed to comply with the mandatory dock safety measures;
- (f) has failed to adopt proper and safe handling methods;
- (g) has been guilty of misrepresentation or misstatement of material facts;
- (h) has been adjudged insolvent or is in liquidation;
- (i) has transferred the licence or sub-contracted with any other person for operating the stevedoring and shore handling activities;
- (j) has failed to comply with security rules, instructions or International Ship and Port Facility Security Code;
- (k) has failed to submit daily performance report;
- (l) has indulged in illegal or corrupt practices;
- (m) has been guilty of misconduct which in the opinion of the Board, warrants cancellation or suspension of License:

Provided that no such License shall be cancelled or suspended until the holder of the licence has been given a reasonable opportunity for showing cause why his License should not be cancelled or suspended on such ground.

**14. Appeal.-** A person who is aggrieved by the order of refusal to issue of licence under regulation 6 by the order of refusal to renew licence under regulation 7 or by the order of suspension or cancellation under regulation 13 may prefer an appeal to the Central Government within thirty days of the receipt of the order appealed against.



**15. Refund of security deposit.-** The security deposit is liable to be refunded to the agent, after making adjustments of the claims of the Board, if any, in the following circumstances, namely:-

- (a) on the expiry of the period of licence and no application has been made for renewal;
- (b) on the refusal of the application for renewal of licence;
- (c) on cancellation of licence; and
- (d) if the agent desires to foreclose the licence issued to him and makes an application in writing to the Chairman for foreclosure and refund of security deposit.

[F. No. PD-0808/46/2017-PD-II/330234]

RABINDRA AGARWAL, Jt. Secy.

**FORM –“A”**  
**COCHIN PORT TRUST**  
**TRAFFIC DEPARTMENT**

APPLICATION FORM FOR THE RENEWAL OF STEVEDORING AND SHORE HANDLING LICENSE UNDER THE COCHIN PORT TRUST (LICENSING OF STEVEDORING AND SHORE HANDLING) REGULATIONS, 2019.

Sl. No.	Description	Details to be filled by the Applicant
1.	Name of the applicant	
2	Whether the applicant is a company registered under the Companies Act,2013 or a partnership firm or has any other legal entity (documentary proof to be attached)	
3	Address for communication	
4	Applicant's PAN or TIN No.	
5	Contact Number of applicant	
6	Name of the person to be contacted and mobile No.	
7.	Email and fax No. of applicant	
8.	Period for which license is required	
9.	Name(s) of the steamship or company or charterer of ship or owner of cargo, with whom the contract for stevedoring and shore handling of cargo is finalized or is proposed to be entered into (enclose copy of contract).Approximate tonnage for each party is to be indicated.	
10.	Previous experience in stevedoring activities and shore handling activities (enclose proof of the cargo and tonnage handled in the previous three years)	

11.	Whether the applicant has financial capability to meet any account of payment of compensation under the Employee's Compensation Act, 1923 (enclose solvency certificate for rupees ten lakhs from the banker to show financial capability and Income Tax returns of previous three years)	
12.	Whether the applicant possess equipment and gears required for stevedoring activities and shore handling activities (enclose list of equipment and gears with safety certificate)	
13.	Whether the applicant has employed or is willing to give an undertaking to employ at least six supervisory personnel possessing minimum two years of experience in cargo handling and stowage required for undertaking the stevedoring activities and shore handling activities (enclose list of employees, their detailed profile including work experience)	
14	Whether the applicant has made payment of application fee as specified in regulation 6 or regulation 7 to the Financial Advisor and Chief Accounts Officer of the Board for issue or renewal of license (enclose proof of payment)	
15.	In the event of issue of license, whether the applicant is willing to pay security deposit as specified in regulation 6.	
16	Whether the applicant has cleared all dues in respect of earlier transactions, if any, with the Board (enclose copies of no due certificates from the concerned authorities of the Board)	
17	In case of renewal of license, enclose safety clearance certificate granted by inspector of dock safety. If not, enclose duly executed original indemnity bond as in Form-C.	

I/We, affirm that the particulars given above are true to the best of my / our knowledge and belief.

I/We, agree to pay the royalty amount as license fee as specified by the Board, charges payable to the registered cargo handling workers and charges for any other services of the Board availed by me/ us for undertaking stevedoring and shore handling operations at Cochin Port.

I/We, agree to furnish any other information /produce any record for inspection as may be required by the concerned authority for issue/ renewal of license.

I/We, agree to abide by the Cochin Port Trust (Licensing of Stevedoring and Shore Handling) Regulations, 2019 as amended from time to time and to comply with the directions issued by the Board from time to time, if the license is issued or renewed in my / our favor.

I/We hereby declare that, I/We have not been convicted for any offence involving moral turpitude and enclosed the certificate as in Appendix-I.

I/We , hereby undertake that, I /we shall charge the rates for services rendered not exceeding the ceiling rates notified by the tariff authority.

Place:

Date :

Signature of applicant with the office seal.

**FORM – “B”**

License for undertaking Stevedoring and Shore Handling operation at the Port.

1. Name of the Licensee : .....
2. Address : .....
3. Period for which the licence is granted from ..... to .....
4. Any other particulars required to mentioned

.....

.....

.....

.....

(Official Seal)

**FOR CHAIRMAN  
COCHIN PORT TRUST****Appendix-I****DECLARATION**

I..... the chief executive officer of the  
..... (name of applicant) hereby that the directors, chief executive officer, partners and  
proprietors of the firm or management are;

- (a) not convicted by the Court for any offence involving moral turpitude;

Or

- (b) convicted by the Court for an offence involving moral turpitude, but a period of five years has elapsed from the  
date of expiry of sentence. (details of the name and designation of the person who has been convicted, nature of  
offence, date of sentences, period of imprisonment, etc. shall be furnished by the Chief executive officer)

Signature

Seal of the Company

\*Strike out option (a) or (b) as the case may be

**CONDITIONS**

This license is granted subject to the provision of the Major Port Trust Act,1963 (38 of 1963) and the Cochin  
Port Trust (Licensing of stevedoring and shore handling) Regulation, 2019 as amended from time to time.

Every stevedoring and shore handling agent shall be subject to the duties, obligations and responsibilities  
imposed under the Cochin Port Trust (Licensing of stevedoring and shore handling) Regulation, 2019 and more  
specifically the following:

- a) The stevedoring and shore handling agent and all its staff and workers engaged for undertaking stevedoring  
and shore handling activities and work incidental thereto will insure compliance with the provisions of the Dock  
Workers (Safety, Health and Welfare) Act,1986 and the Dock Workers (safety, health and Welfare)  
Regulation,1990 and notifications issued there under, the Industrial Disputes Act, 1947, the Minimum wages  
Act,1948, payment of Bonus Act,1965, Employees’ Provident Funds Act,1952, Employees’ State Insurance  
Act, 1948 and any other law/ statues relating to such operations/ labour /equipment for the time being in force;

- b) The stevedoring and shore handling agent shall deploy necessary equipment as will be specified by the Board and carry out the operations with the gears and equipment owned or hired by them;
- c) The stevedoring and shore handling agent shall comply with all accepted safe practices and norms during operations performed by them;
- d) The stevedoring and shore handling agent shall comply with all accepted safe practices and norms during operations performed by them;
- e) The stevedoring and shore handling agent shall indemnify the Board against all third party claims out of operations performed by them;
- f) Whenever the Board has to pay compensation to any of its employees or workers or his dependents under the provision of the Employee's Compensation Act, 1923, in consequence of any accident arising out of and during the course of work performed by a stevedore and shore handling agent or any of its employees and workers, the stevedoring and shore handling agent or any of its employees and workers, the stevedoring and shore handling agent shall reimburse the Board any sum so paid for any such purpose. The quantum of compensation as determined under the workmen's Compensation Act, 1923, shall be taken as binding and conclusive between the Board and the stevedoring and shore handling agent;
- g) If any gear, equipment, plant and other property of the Board is damaged in the course of any such operation, the stevedoring and shore handling agent shall compensate for such loss or damage, the extent of which shall be decided by the Chairman's or his authorized officer after carrying out a proper enquiry and valuation of the property and extent of damage;
- h) The stevedoring and shore handling agent shall communicate promptly and information relating to the stevedoring and shore handling activities undertaken by them or matters related therewith as and when asked for the authorized representative of the Board.
- i) The stevedoring and shore handling agent shall carry out adequate supervision over the workers employed by him in order to ensure maximum productivity consistent with the requirements of safety
- j) The stevedoring and shore handling agent shall provide all the necessary gears and equipment duly tested and certified by the Competent Authority for handling different types of cargo;
- k) The stevedoring and shore handling agent shall produce the necessary annealing and test certificates for gears and equipment deployed by them for periodic inspection or as and when demanded by the Inspector, Dock Safety or the Traffic Manager;
- l) The stevedoring and shore handling agent shall provide the workers necessary personal protective equipment and safety appliances, appropriate for the type of cargo.
- m) The stevedoring and shore handling agent shall ensure that the workers are available at the worksite throughout the shift period, except during the recess hours and render the normal output and shall take effective steps to improve the performance whenever output falls below the stipulated norms;
- n) The stevedoring and shore handling agent shall make adequate arrangements for ancillary operations such as sweeping, filling stitching, repairing vessel's stenciling, securing and breaking of cargo stacking and stowage of cargo, etc required for cargo operation on board the vessels as well as on shore, as the case may be. These ancillary services shall not be separately charged and shall be inclusive in the stevedoring and shore handling rates notified by tariff authority;
- o) The stevedoring and shore handling agent shall ensure that all dues of the Board are paid within the specified period failing which the license may be liable to be canceled under these regulations. License shall not be considered for renewal if any dues payable to the Board remain outstanding.
- p) Stevedoring and shore handling agents shall remit in advance the royalty to the Board prior to calling of the vessel. (The discounts and deferments, if any, offered by the agent to its principals or amounts if not collected by such agent for any reason whatsoever in respect of the stevedoring and shore handling services under these regulations, shall not be recognised for the purpose of calculation of dues of the Board on account of royalty)

- q) The stevedoring and shore handling agent shall undertake to pay wages to workers engaged by him from the Board, in accordance with the terms and settlement agreed between the Central Government and the Federations of Port and dock workers from time to time or at the rates fixed by the Board for the purpose;
- r) The stevedoring and shore handling agent shall not assign, transfer or in any manner part with any interest or benefit in or under the license to any other person;
- s) The stevedoring and shore handling agent shall comply with all rules and regulations of the Board and such instructions as may be issued from time to time by the Traffic Manager in the interest of safety, improvement in productivity and labour discipline;
- t) Whenever casual workers are deployed, stevedoring and shore handling agent should ensure that such workers are covered by insurance policy;
- u) The stevedoring and shore handling agent shall achieve the performance standards fixed by the Board;
- v) The stevedoring and shore handling agent shall publish the tariff charged by it and uploaded it on its own websites and ensure publishing on the Board's website. The charges leviable shall not exceed the ceiling rates prescribed by tariff authority.

### ACCEPTANCE

I/We accept the stevedoring and shore handling license issued to me/us on this day the..... under the terms and conditions stated as above.

Date:  
(Official Seal)

Signature .....  
Name and Designation .....

Address .....

Contact No. ....

#### Witness to the signature

- 1.
- 2.

### **FORM-“C” INDEMNITY BOND**

Format of Indemnity bond for renewal of Stevedoring and Shore Handling License pending submission of Safety Clearance from Dock Safety

To be furnished in the Stamp paper as per Stamp Act  
(Submit on Stamp paper of value not less than Rs.200/-)

This Indemnity Bond executed on this ..... Day of ..... Two thousand and ..... by M/s. .... (herein after referred to as the “Indemnifier”) which expression shall mean and include their heirs, legal representatives, successors, executors, administrator and assignees in office, in favour of the Board of Trustee, the Cochin Port Trust, Willingdon Island, Cochin-682009 represented by their Traffic Manager (hereinafter referred to as “the Board”) which expression shall mean and include their legal representatives, successors and assignees in office;

Whereas, the Indemnifier has requested for renewal of Stevedoring and Shore Handling License in accordance with the Cochin Port Trust (Licensing of Stevedoring and Shore Handling) Regulations, 2019 to carry out the work of stevedoring and shore handling activities at Cochin Port Trust, Willingdon Island, Cochin-682009 beyond the period of three years w.e.f. the date of renewal of licence.

And whereas, the Indemnifier has submitted application for renewal of stevedoring and shore handling license along with application fee, requisite documents and specified security deposit;

Whereas, the Indemnifier fulfill the required conditions and eligible for renewal of licence, but awaiting safety clearance certificate;

Whereas, the Indemnifier has submitted an application for issue of safety clearance certificate to the Asst. Director (Safety), Inspectorate of Dock Safety, Cochin, Willingdon Island, Cochin-682009 vide their application No.....dated .....

Whereas the Indemnifier has executed this Indemnity Bond for renewal of the stevedoring and shore handling license till such time of receiving the safety clearance certificate.

Whereas, the Indemnifier more fully understand the duties and responsibilities as provided in regulation 10 of, and the terms and conditions specified in , the Cochin Port Trust (Licensing of Stevedoring and Shore Handling) Regulations, 2019 and willing to abide by such duties, responsibilities and conditions;

Now therefore, the indemnifier executes this Indemnity Bond for guarantee to protect the interest of the Board against any legal, financial, statutory or third party claim enforced against port through order or direction of any executive, judicial, quasi judicial authority for the reasons of violation of extant safety norms of Inspectorate of Dock Safety and not obtaining safety clearance by indemnifier. The indemnifier shall reimburse to Cochin Port Trust the entire amount towards any compensation, claim and damage cost which may be caused by it to any person and /or property of the port and to make good port's claim in respect of any and all damages so caused by it or its personnel or equipment or gears to any port property and / or in respect of his obligations emanated from the license already referred.

This Indemnity Bond shall remain valid and be enforceable till the date of submitting the valid safety clearance certificate issued by the competent authority.

IN WITNESS WHEREOF. the Indemnifier has hereto signed, sealed and delivered these parents on the day, month and year first above written

For and on behalf of

In the presence of witness:

- (1)
- (2)

Secretary  
Cochin Port Trust